

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर राजा खेड़ा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) जमुंडिया

पीठासीन अधिकारी :- देवी सिंह

सुभाष उपवान  
बनाम मल्ला देवी

दावा बाबत बखार काश्त मद्य एपाई निपेदापुत्रा

मुकदमा नम्बर :- 36/19

निपट्य दिनांक :- 30-11-2021

वादी की ओर से सुभाष की व प्रतिवादी की ओर से मल्ला देवी, मंगलिया, उषा देवी

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30-11-21 को देवी सिंह (नाम पीठासीन अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी, राजा खेड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और

डिक्री दी जाती है कि - पुत्राविक श्रेजात ख. न. 1377/1 रकवा 0.1265 हे. दिशा 3-ग्र उषा देवी

पत्नी रामनिवास जा. गडरिया, ला. टीकतपुरा के हिस्से में रहेगी 1377/2 ख. न. में रकवा 0.1517 हे. दिशा 3-ग्र सुभाष पुत्र कप्तान सिंह के हिस्से में रहेगी ख. न. 1378/1

रकवा 0.1265 हे दिशा दक्षिण मंगलिया पत्नी मिथानलाल जा. गडरिया ला. टीकतपुरा के हिस्से में रहेगी ख. न. 1378/2 रकवा 0.1265 हे. दिशा दक्षिण मल्ला देवी

पत्नी मधवीर प्रसाद जा. गडरिया ला. गुनपुर का पुरा के हिस्से में रहेगी तथा ख. न. 1378/3 रकवा 0.0252 दिशा दक्षिण सुभाष पुत्र कप्तान सिंह के हिस्से में रहेगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। उक्त आदेश राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकार के प्रथम-पृथक खर्चे यह आज तारीख 30-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021



वाद के खर्च

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
राजसखेड़ा (धौलपुर)  
पदेन सहायक कलेक्टर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. प्लीडर के लिए फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. निर्वाह के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	